FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0192 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/09/2024 20:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:35 बजे **Time To (समय तक):** 16:02 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/09/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/09/2024 20:55:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 235 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** BHILWARA, TEHSIL KARYALAYA ASIND

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):** BHILWARA(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BARDI CHANDRA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAXMAN KUMAWAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MADHOPURA, ASIND, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MADHOPURA, ASIND, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRADEEP KUMAR YADAV		पिता:RAMAVTAR YADAV	1. MILAKPUR,BEHROR,ALWAR,R
2	KRISHNA KUMAR AVASTHI		पिता:OMPRAKASH AVASTHI	1. BUBAKIYA,BHINAY,केकड़ी, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 80,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा विषय- रिश्वत लेने वाले को पकडवाने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै प्रार्थी बरदीचंद उर्फ बरदा पिता लक्ष्मण कुमावत निवासी माधोपुरा (जोधडास) तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा का निवासी होकर मैने मेरे नाम से ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का जोधडास मे आराजी सं 580 रकबा 5.80 है मे से 7/24 हिस्सा चला आरहा था, ऑनलाईन सम्बत 2074 से 2077 बनाते समय मेरी कृषि भूमी के संपूर्ण हिस्से को बिना किसी कारण से राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया तथा मेरे सह खातेदार नानू पिता मेघा गुर्जर ने उसके हिस्से की भूमि भीमराज पिता राजूलाल गुर्जर निवासी भालडी खेडा तहसील मांडल को विक्रय की, जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे नामांतरण दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान मे ऑनलाईन सेक्रीकेशन बनाते समय मेरे नाम दर्ज भूमि के संपूर्ण हिस्से को श्री भीमराज पिता राजू लाल गुर्जर के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्जकर दिया गया है। मुझे मेरे उक्त खाते की नकल ऑनलाईन निकलवाने पर मेरी जानकारी मे आया कि मेरे हिस्से की भूमि भीमराज पिता राजू लाल गुर्जर के नाम दर्ज हो गई, जिस पर मैने तहसील कार्यालय आसीन्द मे जाकर उक्त खाते को संस्थागत खाते मे डलवाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सा. आसीन्द ने उक्त खाते को विवादित होने से संस्थागत खाते मे डाल दिया ताकि खातेदार अन्य किसी को विक्रय नही कर सके। श्री भीमराज गुर्जर यह जानते हुये कि मेरी भूमि उस के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो चुकी है का विक्रय करने पर आमदा है। श्री भीमराज गुर्जर ने तहसीलदार आसीन्द के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खाते को संस्थागत खाते से हटाने के लिये आवेदन किया, तहसीलदार आसीन्द ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवार हल्का जोधडास को जाँच कर रिपोर्ट करने के लिये लिखा, जिस पर मुझे पटवारी श्री प्रदीप कुमार ने समाचार कर मुझे तहसील आसीन्द मे बुलाया। जिस पर मै आज दिनांक 30.08.2024 को करीब 1 बजे तहसील आसीन्द मे जाकर पटवारी श्री प्रदीप कुमार जी व गिरदावर सा. श्री कृष्ण कुमार जी से जाकर मिला, तो उन्होने मुझे कहा कि भीमराज गुर्जर निवासी भालडी खेडा ने खाते से संस्थागत हटाने की रिपोर्ट दी है, यह खाता संस्थागत हट जायेगा तो भीमराज उक्त भूमि को दूसरो के नाम बेचान कर देगा। तुम्हारी भूमि लटकती रह जायेगी तथा तुम्हारे नाम पर नही आयेगी, हम उक्त खाते को विवादग्रस्त की रिपोर्ट कर देगे तो भीमराज जमीन की रजिस्ट्री दुसरो के नाम नही करा पायेगा, उक्त खाते को संस्थागत रखने व बाद मे उक्त खाते को सही करवा कर दर्ज करवा देगे, इसके लिये कितना खर्चा पानी दोगे, जिस पर मैने कहा कि आप ही बताओ तो उन्होने कहा कि कम से कम एक लाख रूपये लगेगे, जिस पर मैने कहा कि साहब अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नही है तो उन्होने कहा कि हमे सोच समझ कर बता देना। मै प्रदीप कुमार पटवारी व कृष्ण कुमार गिरदावर सा. को रिश्वत नही देना चाहता हूँ, बल्कि रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं मेरे व इन दोनो पटवारी व गिरदावर के उधार का लेन देन नही है तथा न ही आपसी दुमनी है। एस.डी बरदीचन्द्र प्रार्थी बरदीचन्द्र पिता लक्ष्मण कुमावत निवासी माधोपुरा पो. कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा मो नं कार्यवाही पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय दिनांक 30.08.2024 समय 05.35 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना के समक्ष परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा कुमावत पिता श्री लक्ष्मण कुमावत, निवासी माधोपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की ताईद की तथा उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी से दरियाफत की गई तो परिवादी ने बताया कि मैने मेरे नाम से ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का जोधडास मे आराजी सं 580 रकबा 5.80 है मे से 7/24 हिस्सा लगभग 8 बीघा कृषि भूमि मैने अलग अलग समय मे तीन बार अलग अलग खातेदारो से क्रय की थी उक्त पूरी भूमि का मेरे नाम से नामान्तरण हो कर दर्ज रिकॉर्ड 7/24 हिस्सा चला आ रहा था। ऑनलाईन सम्वत 2074 से 2077 बनाते समय मेरी कृषि भूमी के संपूर्ण हिस्से को बिना किसी कारण से राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया तथा मेरे सह खातेदार नानू पिता मेघा गुर्जर ने उसके हिस्से की भूमि भीमराज पिता राजू लाल गुर्जर निवासी भालडी खेडा तहसील मांडल को विक्रय की जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे नामांतरण दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान मे ऑनलाईन सेक्रीकेशन बनाते समय मेरे नाम दर्ज भूमि के संपूर्ण हिस्से को श्री भीमराज पिता राजू लाल गुर्जर के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया है। मुझे मेरे उक्त खाते की नकल आनलाईन निकलवाने पर मेरी जनकारी मे आया कि मेरे हिस्से की भूमी भीमराज पिता राजू लाल गुर्जर के नाम दर्ज हो गई जिस पर मैने तहसील कार्यालय आसीन्द मे जाकर उक्त खाते को संस्थागत खाते मे डलवाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

जिस पर तहसीलदार साहब आसीन्द ने उक्त खाते को विवादित होने से संस्थागत खाते मे डाल दिया। ताकी खातेदार अन्य किसी को विक्रय नही कर सके। श्री भीमराज गुर्जर यह जानते हुये कि मेरी भूमि उस के नाम पर गलत तरिके से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो चुकी है का विक्रय करने पर आमदा है। श्री भीमराज गुर्जर ने तहसीलदार आसीन्द के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खाते को संस्थागत खाते से हटाने के लिये आवेदन किया, तहसीलदार आसीन्द ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवार हल्का जोधडास को जॉच कर रिपोर्ट करने के लिये लिखा जिस पर मुझे श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी साहब ने समाचार कर तहसील आसीन्द मे बुलाया जिस पर मै आज दिनांक 30.08.2024 को करीब 1 बजे तहसील आसीन्द मे जाकर श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी साहब व श्री कृष्ण कुमार जी गिरदावर साहब से जा कर मिला तो उन्होने मुझे कहा कि भीमराज गुर्जर ने खाते से संस्थागत हटाने की रिपोर्ट दी है यह खाता संस्थागत हट जायेगा तो भीमराज दूसरो के नाम उक्त सारी भूमि का बेचान कर देगा। तुम्हारी भूमि लटकती रह जायेगी तथा तुम्हारे नाम पर नही आयेगी, हम हम उक्त खाते को विवादग्रस्त की रिपोर्ट कर देगे तो भीमराज दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री नही करा पायेगा उक्त खाते की संस्थागत रखने व बाद मे उक्त खाते को सही करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देगे इसके लिये कितना खर्चा पानी दोगे जिस पर मैने कहा कि आप ही बताओ तो उन्होने कहा कि कम से कम एक लाख रूपये लगेगे जिस पर मैने कहा कि साहब अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नही है तो उन्होने कहा कि हमे सोच समझ कर बता देना। इसके बाद मै तहसील आसीन्द से रवाना होकर यहां पर आया हुं। परिवादी से दरियाफत की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे व आरोपीगण के बीच में कोई उधार का लेन देन बकाया नही है, ना ही कोई आपसी रंजिष है। मेरे द्वारा किसी प्रकार की राजकीय राशि राजस्व विभाग में जमा कराना बकाया नही है परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) 2018 के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टिया दृष्टि गोचर होने से समय 06.00 पी.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री प्रहलाद कुमार, सहायक उप निरीक्षक से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाया जाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु बताया तो परिवादी ने कहा कि अभी कार्यालय का समय समाप्त हो चुका है। मांग सत्यापन कराने हेतु भीलवाडा से आसीन्द जाने में समय लगेगा तथा रात्री का समय होने वाला है, कल ओर परसों का राजकीय अवकाश होने से आरोपीगण संभवतया बाहर जा सकते है। मैं सोमवार दिनांक 02.09.2024 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूं आप किसी कर्मचारी को मेरे पास भिजवा देना। जिस पर डिजिटल वायस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को मालखानें में रखवाया गया। समय 06.15 पी.एम पर परिवादी श्री बरदीचन्द उर्फ बरदा कुमावत को दिनांक 02.09.2024 को समय 10.30 ए.एम. पर ब्राहमणों की सरेरी बायपास पुलिया के पास मौजूद मिलने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 02.09.2024 को समय 09.30 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री प्रहलाद कुमार, सहायक उप निरीक्षक चौकी द्वितीय से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाया जाकर श्री रामेश्वर लाल कानि0 न0 250 को सुपुर्द कर परिवादी श्री बरदीचन्द उर्फ बरदा कुमावत के मोबाईल नम्बर दिये जाकर कानि0 हिदायत दी गई कि ब्राहमणों की सरेरी बायपास पुलिया के पास पहुचं परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि की मांग सत्यापन से सम्बन्धित कार्यवाही करने के निर्देश देकर स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 05.30 पी.एम पर श्री रामेश्वर कानि0 250 हाजिर कार्यालय आया, जिसने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि आप के निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय से रवाना होकर ब्राह्मणों की सरेरी बायपास पुलिया के पास पहुचां जंहा पर परिवादी मौजूद नहीं मिला, जिस पर मैने परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी साहब ने मुझे पटवार घर ईरास बुलाया है। आप मेरे गांव जोधड़ास ही आ जाओं, जिस पर मैं रवाना होकर जोधड़ास गांव के बाहर पहुचा, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, जिसको रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में अवगत कराया गया। परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी साहब ने आज 12-1 बजे के बीच मे मुझे पटवार घर ईरास पर बुलाया है, जिस पर मै व परिवादी रवाना होकर पटवार घर ईरास के पास पहूॅुचे, परिवादी को मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर परिवादी को पटवारी से रिश्वत राशि मांग वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया, मैं पटवार घर के बाहर खडा हो गया करीब 15-20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया जिसने चालु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको मैंने लेकर बंद किया। परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने मेरी जमीन के बारे मे पूछा तथा मौके पर जाने के लिए कहा तथा मेरी जमीन की खाता दुरस्तीकरण के लिए कागजी कार्यवाही मुझे करने के लिए कहा तथा रिश्वत राशि के संबंध मे बाद मे बात करने के लिए कहा इसके पश्चात मैं व परिवादी दोनो थोडी देर इन्तजार करने के बाद पटवारी साहब ने परिवादी को फोन कर कहा कि तहसीलदार साहब आसीन्द अभी आपको बुला रहे है, वही पूरी बात करेगें। आप तुरन्त आसीन्द आ जावो, जिस पर मै व परिवादी दोनो रवाना होकर आसीन्द तहसील कार्यालय के पास पहूॅुचे, परिवादी को मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया, मैं तहसील के बाहर परिवादी का इन्तजार करने लग गया। करीब 45 मिनट पश्चात परिवादी मेरे पास आया जिसने चालु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको लेकर मैने बंद किया, परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि से संबधित वार्ता हो चुकी है, पटवारी साहब

प्रदीप कुमार यादव व गिरदावर साहब कृष्ण कुमार जी ने मेरे से 80,000 रूपये रिश्वत की मांग की है, जिस पर मैने आपसे जरिये मोबाईल वार्ता कर हालात निवेदन किये, परिवादी के आवश्यक कार्य होने से आपके निर्देशानुसार आसीन्द मे ही छोडकर मै आसीन्द से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया हॅु, कानि श्री रामेश्वर लाल द्वारा प्रस्तुत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो श्री रामेश्वर लाल कानि द्वारा बतायी गये, उक्त तथ्यो की ताईद हुई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने मे प्रहलाद कुमार स.उ.नि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 06.20 पी.एम चुंकि कल दिनांक 03.09.2024 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है, जिसमे दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से अधीक्षण खनि अभियन्ता भीलवाडा के नाम तहरीर दी जाकर श्री गोपाल जोशी, सहायक उपनिरीक्षक को रवाना किया गया। समय 07.20 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी सहायक उपनिरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाह लेकर हाजिर कार्यालय आया जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री गोपाल लाल पॅवार पुत्र श्री गोवर्धन लाल पॅवार निवासी-ई-291/1, बायोस्कोप के पास, सुभाषनगर, भीलवाडा, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता-भीलवाडा व दुसरे ने अपना नाम श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड पुत्र श्री रामस्वरूप धूपड निवासी 10 पी 4, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय खनि अभियंता-भीलवाडा होना बताया। दोनो गवाह को कार्यालय में बिठाया गया। समय 07.30 पी.एम पर दोनो गवाह को कल दिनांक 03.09.2024 को समय 08.00 ए.एम पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.09.2024 समय 08.00 ए.एम पर परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा हाजिर कार्यालय आया, तथा बताया कि कल दिनांक 02.09.2024 को श्री रामेश्वर लाल जी मेरे पास मेरे गांव मे आये थे, तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने के लिये बताया। तत्पश्चात हम दोनो रवाना होकर ईरास गांव पहॅुचे, जहां पर पटवार घर के पास रामेश्वर जी ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द किया उसके बाद मैं पटवार घर ईरास मे गया जहां पर पटवारी मौजुद मिले, जिनसे मेरी वार्ता हुई पटवारी साहब ने मेरी जमीन के बारे मे पूछा तथा मौके पर जाने के लिए कहा तथा मेरी जमीन की खाता दुरस्तीकरण के लिए कागजी कार्यवाही मुझे करने के लिए कहा तथा रिश्वत राशि के संबंध मे बाद मे बात करने के लिए कहा इसके पश्चात मैने चालु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर रामेश्वर जी को सिपूर्द किया जिन्होने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा मैने हालात रामेश्वर जी को बताये उसके बाद मैं व रामेश्वर जी ईरास गांव के बाहर इन्तजार कर रहे थे कि पटवारी साहब का मेरे मोबाईल पर फोन आया, तथा मुझे कहा कि तहसीलदार साहब आसीन्द अभी आपको बुला रहे है, वही पूरी बात करेगें। आप तुरन्त आसीन्द आ जावो, जिस पर मै व रामेश्वर जी दोनो रवाना होकर आसीन्द तहसील कार्यालय के पास पहॅुचे, रामेश्वर जी ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया। मैं तहसील कार्यालय आसीन्द में गया जहां पर मेरी बात पटवारी श्री प्रदीप कुमार व गिरदावर साहब कृष्ण कुमार जी से हुई जिन्होने मेरे काम के लिये 80,000रू. रिश्वत कि मांग की तथा मेरी जमीन की खाता दुरस्तीकरण करने के लिये तहसील परिसर में स्थित चाय की दुकान पर ले जाकर एक रिपोर्ट तहसीलदार साहब के नाम किसी व्यक्ति से लिखवाई जिस पर मेरे हस्ताक्षर करवाये उसके बाद मुझे तहसीलदार साहब के पास लेकर गये तहसीलदार साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र पर कुछ लिखकर गिरदावर साहब को दे दिया। उसके बाद में तहसील से रवाना होकर रामेश्वर जी के पास आया जिनको मैंने चालू डिजिटल वायस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिन्होने लेंकर बन्द कर अपने पास रखा तथा मैने उपरोक्त हालात रामेश्वर जी को बताये। रामेश्वर जी ने जरिये मोबाईल वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धित हालात निवेदन किये गये। मैने रामेश्वर जी को बताया कि मेरे जरूरी काम है मै भीलवाडा आपके साथ नहीं जा सकता हूं। जिस पर आपके निर्देशानुसार रामेश्वर जी ने मुझे वही छोडकर भीलवाडा के लिये रवाना हुए। समय 08.25 ए.एम पर पूर्व मे पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता-भीलवाडा व श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय खनि अभियंता-भीलवाडा हाजिर आये। उक्त दोनो गवाहान को कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री बरदीचन्द उर्फ बरदा से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2024 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मालखाना में से निकलवाकर दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि. से सुरक्षित मालखाना रखा गया। समय 08.30 ए.एम पर जरिये दुरभाष तलविदा श्री नेमीचंद सउनि भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम से कार्यवाही ईमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.30 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा कुमावत पिता श्री लक्ष्मण कुमावत, निवासी माधोपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 160 नोट कुल 80,000 रूपये प्रस्तुत किये, नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मधुसुदन,

सहायक उप निरीक्षक से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों को सफेद कागज पर रखवाकर नोटो के दोनों ओर श्री मधुसुदन, सहायक उप निरीक्षक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा की जामा तलाशी गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड़ से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री मधुसुदन सउनि से परिवादी के पहने हुये कुर्ते (जब्बा) की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ प्लास्टीक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री मधुसुदन सउनि की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् निरीक्षक पुलिस ने हाजरियान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मधुसुदन सउनि से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मधुसुदन सउनि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टीक के गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे या मन् निरीक्षक पुलिस को मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि देने बाबत निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.05 पी.एम पर सरकारी नया मेमारी कार्ड 32 जीबी का मालखाने से निकलवाकर श्री अशोक कुमार कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने तथा कार्यालय में सरकारी विडियो केमरा नही होने के कारण जरिये मोबाईल पेश सुदा मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी कर पेश करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना श्री गोपाल लाल जोशी स.उ.नि., श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि., श्री नेमीचंद सउनि, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड, श्री गोपाल लाल पंवार मय लेपटॉप प्रिन्टर, टे्प बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो मय विनोद कुमार चालक के तथा प्रेमराज कानि0, श्री शिवराज कानि0, श्री अशोक कुमार कानि0, को प्राईवेट वाहन से तथा रामेश्वर लाल कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा के साथ परिवादी की मोटर साईकिल पर आसीन्द की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के टे्प कार्यवाही हेतु आसीन्द की तरफ रवाना होकर समय 03.48 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा आसीन्द तहसील के पास बायपास रोड़ के पास पहुंचे। वाहनो को साईड मे सुरक्षित खडा किया गया। कानि रामेश्वर लाल कानि से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल पर कानि0 श्री रामेश्वर लाल को बैठाकर तहसील आसीन्द के लिये रवाना किया जाकर उनके पिछे पिछे कानि0 श्री शिवराज को भी रवाना किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के निर्धारित ईशारे का ईन्तजार करने लगे। परिवादी व रामेश्वर कानि0 रवाना होकर तहसील के मैन गेट के बाहर जाकर मोटर साईकिल खडी कर चाबी रामेश्वर कानि को देकर परिवादी तहसील कार्यालय के अन्दर चला गया। थोड़ी देर पश्चात तहसील कार्यालय परिसर में स्थित टे्जरी कार्यालय के सामने वाले गेट से एक व्यक्ति की मोटर साईकिल के पिछे बैठ कर जाता हुआ नजर आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के भी उनके पिछे-पिछे रवाना हुई तथा मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि श्री रामेश्वर लाल व शिवराज को परिवादी की मोटर साईकिल लेकर उक्त व्यक्ति के पिछे पिछे चलने के निर्देश दिये। परिवादी व उक्त व्यक्ति तहसील से 500 मीटर दूर जाकर परिवादी को मोटरसाईकिल से नीचे उतार कर कुछ वार्तालाप कर परिवादी को छोड कर मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। समय 04.02 पी.एम पर परिवादी ने निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के पास पहुॅची, तो परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालत मे प्रस्तुत किया, जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने लेकर बंद कर अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि मोटरसाईकिल से रवाना हुए व्यक्ति पटवारी श्री प्रदीप कुमार यादव है, जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि 80,000 रूपये अपनी मोटरसाईकिल की साईड के बैग मे रखने के लिए कहा जिस पर मैने सिपूर्द शुदा नोट पटवारी साहब की मोटरसाईकिल के साईड के बैग मे

रख दिये तथा पटवारी साहब मोटरसाईकिल स्टार्ट कर रवाना हो गये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि शिवराज सिंह व रामेश्वर लाल कानि को परिवादी की मोटरसाईकिल से उक्त पटवारी का पीछा करने हेतु रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी को साथ लेकर उक्त पटवारी का पीछा करने के लिए मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के रवाना हुई। करीब 1 कि.मी. पीछा करने के पश्चात कानि शिवराज ने उक्त पटवारी की मोटरसाईकिल के आगे हाथ का ईशारा कर रोकने के लिए कहा तो उक्त व्यक्ति मोटरसाईकिल की स्पीड और तेज बढा दी जिस पर कानि शिवराज व रामेश्वर लाल ने उक्त व्यक्ति की मोटरसाईकिल के आगे मोटरसाईकिल लगाकर बडी मुश्किल से उक्त पटवारी की मोटरसाईकिल को रोका, तथा उक्त व्यक्ति का बांया हाथ कानि शिवराज सिंह ने व दाहिना हाथ कानि प्रेमराज ने कलाई से पकडा। इसके पश्चात उक्त व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी ने बताया की यह पटवारी साहब श्री प्रदीप कुमार यादव है, जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि 80,000 रूपये इनकी मोटरसाईकिल साईड के बैग मे रखवाये है। इसके पश्चात बीएनएसएस मे अंकित प्रावधानो के अनुसार श्री अशोक कुमार 367 से विडियोग्राफी करना प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो अपना नाम श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री रामावतार यादव उम्र 43 वर्ष, निवासी मिलकपुर, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा होना बताया। जिस पर आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव को परिवादी और ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा से उसके नाम ग्राम जोधडास मे स्थित कृषि भूमि आराजी सं 580 रकबा 5.80 है मे से 7/24 हिस्सा लगभग 8 बीघा भुमि को राजस्व रिकॉर्ड मे संस्थागत रखने व राजस्व रिकॉर्ड मे दुरस्तीकरण करने की एवंज मे परिवादी से 80,000 रूपये रिश्वत राशि आपने अपनी मोटरसाईकिल के साईड के बैग मे रखवाये है क्या। जिस पर आरोपी ने बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है, जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने रिश्वत के 80,000 रूपये लिये है जो मेरी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड मे सस्थागत रखने की एवंज मे लिये है। इस पर पुनः आरोपी से पूछा गया तो आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी ने बताया उन्होने मेरे गाडी के बैग मे रख दिये है। इस पर पुनः परिवादी से पूछने पर बताया कि मैंने इनके कहे अनुसार गाडी के बैग मे रखे है। इसके पश्चात उक्त मोटरसाईकिल के बैग मे पडी हुई रिश्वत राशि 80,000 रूपये को गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड से निकवायी जाकर गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड के पास सुरक्षित रखवायी गई। इसके पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव को श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, गिरदावर के बारे मे पूछा तो बताया कि मुझे जानकारी नही है, मौके पर आम रोड हो आवागमन होने से होने से तथा मौके पर भीड जमा होने के कारण तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के अपने-अपने साधनो से आरोपी की मोटरसाईकिल श्री अशोक कुमार कानि के साथ लेकर तहसील कार्यालय आसीन्द पर पहुॅची, जहां पर श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, गिरदावर के बारे मे पूछने पर बताया कि अभी अभी तहसील मे थे अभी बाहर निकले है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने तहसील कार्यालय के बाहर जाकर श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, गिरदावर की तलाश की गई, परन्तु गिरदावर मौजुद नही मिला। तहसीलदार आसीन्द के बारे मे पूछने पर जानकारी मे आया कि तहसीलदार साहब भादवी छट का मेला होने से गांव मालासेरी अभी थोडी देर पहले गये है, जिस पर उपखंड अधिकारी आसीन्द को जरिये दूरभाष कर तहसीलदार आसीन्द व श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, गिरदावर को तुरन्त तहसील कार्यालय आसीन्द मे भिजवाने हेतु कहा गया। करीब आधे घंटे पश्चात तहसीलदार आसीन्द उपस्थित आये, जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो श्री भॅवरलाल सेन, तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा होना बताया। जिस पर श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, गिरदावर के बारे मे पूछा तो बताया कि श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के पद पर पदस्थापित है, मैं अभी भादवी छट का मेला होने से मालासेरी गांव जा रहा था। उससे पहले तहसील मे मौजुद था, जिस पर तहसीलदार आसीन्द को श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक को तहसील कार्यालय मे उपस्थित करने हेतु कहा गया। जिस पर श्री भंवरलाल सेन तहसीलदार ने श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक के मोबाईल फोन लगाया, परन्तु फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया। श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक की आस पास तलाश करवायी गई, परन्तु मौजूद नही मिला। इसके पश्चात गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड के पास सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि को दोनो गवाहान को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिनकर 500-500 रूपये के 160 नोट कुल राशि 80,000 रूपये होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू-ब-हू होना बताया। नोटो के नम्बर निम्नानुसार है- 1. 500 रूपये का एक नोट 7UB 473602 2. 500 रूपये का एक नोट 5GV 567277 3. 500 रूपये का एक नोट 1WR 472215 4. 500 रूपये का एक नोट 2VF 552278 5. 500 रूपये का एक नोट 8SU 047157 6. 500 रूपये का एक नोट 3KC 297017 7. 500 रूपये का एक नोट 5CH 801324 8. 500 रूपये का एक नोट 1AR 823355 9. 500 रूपये का एक नोट 2MT 946495 10. 500 रूपये का एक नोट 0VL 675182 11. 500 रूपये का एक नोट 6KE 887713 12. 500 रूपये का एक नोट 3KA 645115 13. 500 रूपये का एक नोट 3AQ 084532 14. 500 रूपये का एक नोट 1BL 800192 15. 500 रूपये का एक नोट 6AT 902903 16. 500 रूपये का

एक नोट 4GC 047425 17. 500 रूपये का एक नोट 5PC 509589 18. 500 रूपये का एक नोट 5AF 758699 19. 500 रूपये का एक नोट 4EF 178115 20. 500 रूपये का एक नोट 3EP 852961 21. 500 रूपये का एक नोट 3AC 857699 22. 500 रूपये का एक नोट 9AM 884041 23. 500 रूपये का एक नोट 1LM 986377 24. 500 रूपये का एक नोट 4NM 956119 25. 500 रूपये का एक नोट 6CQ 184505 26. 500 रूपये का एक नोट 6WM 929508 27. 500 रूपये का एक नोट 4PP 395395 28. 500 रूपये का एक नोट 7RU 825463 29. 500 रूपये का एक नोट 7BE 398709 30. 500 रूपये का एक नोट 4LE 557081 31. 500 रूपये का एक नोट 3KU 986591 32. 500 रूपये का एक नोट 6NK 994313 33. 500 रूपये का एक नोट 7AF 558569 34. 500 रूपये का एक नोट 6MN 087559 35. 500 रूपये का एक नोट 5EU 090105 36. 500 रूपये का एक नोट 8GH 992690 37. 500 रूपये का एक नोट 9PW 283371 38. 500 रूपये का एक नोट 5GK 174781 39. 500 रूपये का एक नोट 5SB 149439 40. 500 रूपये का एक नोट 9PG 535924 41. 500 रूपये का एक नोट 1DP 309809 42. 500 रूपये का एक नोट 3HN 169274 43. 500 रूपये का एक नोट 0FH 704322 44. 500 रूपये का एक नोट 1RR 893976 45. 500 रूपये का एक नोट 4RT 128683 46. 500 रूपये का एक नोट 3LF 566885 47. 500 रूपये का एक नोट 6VS 364092 48. 500 रूपये का एक नोट 7EF 728605 49. 500 रूपये का एक नोट 7AU 333662 50. 500 रूपये का एक नोट 1BC 374983 51. 500 रूपये का एक नोट 1BE 492809 52. 500 रूपये का एक नोट 5GG 090209 53. 500 रूपये का एक नोट 9HQ 916986 54. 500 रूपये का एक नोट 2UG 360363 55. 500 रूपये का एक नोट 6AQ 588512 56. 500 रूपये का एक नोट 6NK 466513 57. 500 रूपये का एक नोट 6QT 864593 58. 500 रूपये का एक नोट 5VP 555040 59. 500 रूपये का एक नोट 7HK 195604 60. 500 रूपये का एक नोट 9PB 328246 61. 500 रूपये का एक नोट 9UR 854231 62. 500 रूपये का एक नोट 0ME 293321 63. 500 रूपये का एक नोट 6TF 547071 64. 500 रूपये का एक नोट 0PW 912591 65. 500 रूपये का एक नोट 9VA 962251 66. 500 रूपये का एक नोट 6RN 279178 67. 500 रूपये का एक नोट 4ES 418987 68. 500 रूपये का एक नोट 1RR 626025 69. 500 रूपये का एक नोट 9RR 804689 70. 500 रूपये का एक नोट 2PB 890917 71. 500 रूपये का एक नोट 3MV 411896 72. 500 रूपये का एक नोट 9BF 182762 73. 500 रूपये का एक नोट 9DN 700319 74. 500 रूपये का एक नोट 5HG 634876 75. 500 रूपये का एक नोट 6WN 378010 76. 500 रूपये का एक नोट 5WG 325602 77. 500 रूपये का एक नोट 8VL 064709 78. 500 रूपये का एक नोट 2PA 413506 79. 500 रूपये का एक नोट 6TC 009196 80. 500 रूपये का एक नोट 7AT 473422 81. 500 रूपये का एक नोट 1NE 785742 82. 500 रूपये का एक नोट 9FR 843756 83. 500 रूपये का एक नोट 1PW 141963 84. 500 रूपये का एक नोट 4RH 116760 85. 500 रूपये का एक नोट 2UB 572034 86. 500 रूपये का एक नोट 5ND 437802 87. 500 रूपये का एक नोट 9NC 780285 88. 500 रूपये का एक नोट 1UB 696530 89. 500 रूपये का एक नोट 2AL 383319 90. 500 रूपये का एक नोट 0PT 262210 91. 500 रूपये का एक नोट 7LH 459193 92. 500 रूपये का एक नोट 8CW 850622 93. 500 रूपये का एक नोट 6WE 838413 94. 500 रूपये का एक नोट 4ST 670620 95. 500 रूपये का एक नोट 2RC 904109 96. 500 रूपये का एक नोट 9CA 825147 97. 500 रूपये का एक नोट 2QA 896045 98. 500 रूपये का एक नोट 1FS 975437 99. 500 रूपये का एक नोट 8NE 753484 100. 500 रूपये का एक नोट 9MT 878099 101. 500 रूपये का एक नोट 1AS 427551 102. 500 रूपये का एक नोट 4VC 926602 103. 500 रूपये का एक नोट 1EL 517736 104. 500 रूपये का एक नोट 3BB 795195 105. 500 रूपये का एक नोट 0FQ 601633 106. 500 रूपये का एक नोट 6GD 959713 107. 500 रूपये का एक नोट 3RL 007031 108. 500 रूपये का एक नोट 7HE 082345 109. 500 रूपये का एक नोट 4WM 922325 110. 500 रूपये का एक नोट 0NL 349346 111. 500 रूपये का एक नोट 4PL 642287 112. 500 रूपये का एक नोट 0DA 116368 113. 500 रूपये का एक नोट 4GF 441193 114. 500 रूपये का एक नोट 3FM 081914 115. 500 रूपये का एक नोट 9RH 204165 116. 500 रूपये का एक नोट 7FU 355236 117. 500 रूपये का एक नोट 0SL 763885 118. 500 रूपये का एक नोट 5VV 888865 119. 500 रूपये का एक नोट 7CH 677025 120. 500 रूपये का एक नोट 2HA 370028 121. 500 रूपये का एक नोट 4WB 292861 122. 500 रूपये का एक नोट 5CA 272936 123. 500 रूपये का एक नोट 3BH 232258 124. 500 रूपये का एक नोट 1MW 605521 125. 500 रूपये का एक नोट 9RH 204164 126. 500 रूपये का एक नोट 6PD 570663 127. 500 रूपये का एक नोट 9RH 204162 128. 500 रूपये का एक नोट 1BD 762307 129. 500 रूपये का एक नोट 3EH 695681 130. 500 रूपये का एक नोट 4SV 380450 131. 500 रूपये का एक नोट 6EK 642343 132. 500 रूपये का एक नोट 7VS 239047 133. 500 रूपये का एक नोट 0BC 002084 134. 500 रूपये का एक नोट 9HN 411445 135. 500 रूपये का एक नोट 3CN 511866 136. 500 रूपये का एक नोट 1SL 904646 137. 500 रूपये का एक नोट 4MG 666733 138. 500 रूपये का एक नोट 7TG 594982 139. 500 रूपये का एक नोट 1FW 615637 140. 500 रूपये का एक नोट 5LK 793983 141. 500 रूपये का एक नोट 7AL 455770 142. 500 रूपये का एक नोट 7EL

972835 143. 500 रूपये का एक नोट 0DU 257297 144. 500 रूपये का एक नोट 7QA 179449 145. 500 रूपये का एक नोट 9RT 631220 146. 500 रूपये का एक नोट 5TC 363746 147. 500 रूपये का एक नोट 3WG 138463 148. 500 रूपये का एक नोट 9QE 473062 149. 500 रूपये का एक नोट 9RH 204163 150. 500 रूपये का एक नोट 3AL 310609 151. 500 रूपये का एक नोट 3RQ 886245 152. 500 रूपये का एक नोट 0PL 381222 153. 500 रूपये का एक नोट 3EF 845860 154. 500 रूपये का एक नोट 5EV 282727 155. 500 रूपये का एक नोट 0FE 537152 156. 500 रूपये का एक नोट 3GT 298467 157. 500 रूपये का एक नोट 8CL 059625 158. 500 रूपये का एक नोट 2AH 725154 159. 500 रूपये का एक नोट 2UQ 520542 160. 500 रूपये का एक नोट 5HL 291331 उक्त सभी नोटों को एक कागज की चिट लगाकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। इसके पश्चात उक्त मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स आर.जे. 02 डब्लु.बी. 0423 के साईड के बैग जिसमे से रिश्वत राशि 80,000 रूपये बरामद हुई उक्त बैग को मोटरसाईकिल से खोलकर बैग को उल्टवा कर तहसील कार्यालय आसीन्द मे रखे पानी के कैम्पर से कानि श्री रामेश्वर लाल 250 से साफ पानी मंगवाया गया तथा एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया । इसके पश्चात रूई के फोहे से बैग को अंदर की तरफ रगडकर उक्त रंगहीन गोल मे रूई के फोहे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क BG 1 व BG 2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव की मोटरसाईकिल के साईड के उक्त बैग जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई को एक सफेद कागज की चिट पर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर चिट को उक्त बैग मे रखकर बैग को सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड चिट कर मार्क BG अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रूई के फोहे को सुखाकर जलाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव घटना के समय उपयोग मे लिये गये वाहन मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स आर.जे. 02 डब्लु.बी. 0423 बंरग ब्लैक ग्रेरंग की जिसके चैचिस नंबर MBLHAC097P4F10965 इंजन नंबर HA11EBP4F08588 की ट्रैप कार्यवाही मे आवश्यकता होने से कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा द्वारा बताये अनुसार कि आरोपी श्री प्रदीप कुमार द्वारा रिश्वत राशि आरोपी की मोटरसाईकिल के बैग मे रखवाने की कहने पर उसके द्वारा रिश्वत राशि बैग मे रखी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के हाथ नही लगाने के कारण हाथ धुलाई की कार्यवाही नही की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव को परिवादी से संबंधित दस्तावेज पेश करने की कहने पर आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि उक्त सभी दस्तावेज मेरे पास नही होकर तहसील मे है, जिस पर तहसीलदार आसीन्द श्री भंवरलाल सेन को उनके कक्ष से तलब कर परिवादी से संबंधित दस्तावेज पेश करने की कहने पर तहसीलदार ने अपने कार्यालय मे से दस्तावेज लाकर प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री बरदा पिता लक्ष्मण का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार आसीन्द के नाम का होकर तहसीलदार आसीन्द द्वारा पटवारी व आर.आई. जांच कर रिपोर्ट करें कि त्रृटि किस स्तर पर हुई है का अंकन होकर अपने हस्ताक्षर अंकित दिनांक 02.09.2024 अंकित किये हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा पटवारी पटवार हल्का जोधडास को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये हुई है। उक्त दस्तावेज पेज संख्या 01 से 11 तक मिले, तथा दुसरा प्रार्थना पत्र श्री भीमराज गुर्जर द्वारा तहसीलदार आसीन्द के नाम दिनांक 16.08.2024 को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया तो दिनांक 16.08.2024 को तहसीलदार आसीन्द द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को पटवार हलका जोधडास के नाम आदेश कर माननीय न्यायालय की निर्णय की पालना कर रिपोर्ट करने हेतु हल्का पटवारी को भिजवाये जाने के आदेश जारी किये गये जो किता 1 से 4 तक है। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र पर पटवारी पटवार हल्का पर जोधडास की रिपोर्ट होना अंकित नही है। उक्त दोनो दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां पेश करने हेतु तहसीलदार आसीन्द को निर्देश दिये गये। करीब 15 मिनट पश्चात तहसीलदार आसीन्द ने उक्त दोनो दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी ली गई। मूल दस्तावेज आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री भंवरलाल सेन, तहसीलदार आसीन्द को सिपूर्द किये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के मध्य रिश्वत लेन देन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री प्रदीप कुमार पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा व श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक, कालियास तहसील-आसीन्द जिला-भीलवाडा द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा के नाम ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का जोधडास मे आराजी सं 580 रकबा 5.80 है मे से 7/24 हिस्सा लगभग 8 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे सस्थागत खाता रखने व परिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दुरस्तीकरण करने की एवंज मे 80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा अपनी मांग के अनुसरण मे रिश्वत राशि

80,000/- रूपये अपनी मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स आर.जे. 02 डब्लु.बी. 0423 के साईड बैग में रखने के लिये कहने पर परिवादी ने उसकी मोटरसाईकिल बैग मे रखी जहां से रिश्वत राशि 80,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 04.30 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 08.45 पी.एम. पर सम्पन्न होकर ए.सी.बी. कार्यालय के सरकारी लेपटाप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। उक्त कार्यवाही की श्री अशोक कुमार कानि 367 से विडियोग्राफी बीएनएसएस की उपबंधित प्रावधानो के अनुक्रम करवायी गई, जिसका मेमोरी कार्ड एवं पैनड्राईव शीघ्र पेश करने हेतु श्री अशोक कुमार कानि 367 को अकब से पेश करने की हिदायत की गई। कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। फर्द जुदा गाना तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00. पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री रामावतार यादव उम्र 43 साल निवासी मिलकपुर, तहसील बहरोड थाना बहरोड़ जिला-अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 09.15 पी.एम से 09.45 पी.एम. तक रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 03.09.2024 की जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे दर्ज है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को दोनो गवाहान परिवादी के समक्ष तहसीलदार आसीन्द श्री भंवरलाल सेन को चलाकर सुनाई गई तो श्री भवंरलाल सेन तहसीलदार तहसील आसीन्द ने उक्त वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता मे एक वार्ता श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का जोधड़ास तहसील आसीन्द की होना बताया। फर्द पहचान आवाज पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल से बीएनएसएस के प्रावधानो के अनुसार विडियोगाफ्री करवायी गई। समय 09.50 पी.एम. पर आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवस्थी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा जो मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश की गई परन्तु वह नही मिला। जिस पर तहसीलदार आसीन्द के नाम पत्र जारी कर आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवस्थी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा तहसील कार्यालय मे आने एवं भू- अभिलेख निरीक्षक कार्यालय मे उपस्थित होने पर तुरन्तु ब्यूरो कार्यालय मे सूचना देने हेतू पाबंध किया गया तथा पत्र की प्रति शामिल कार्यवाही की गई। समय 10.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि, धोवण की शीशीयां मय जप्तशुदा मोटरसाईकिल मय परिवादी तथा उसकी मोटरसाईकिल से मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के तहसील कार्यालय आसीन्द से एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय के लिए रवाना हुई। समय 11.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि, धोवण की शीशीयां मय जप्तशुदा मोटरसाईकिल मय परिवादी तथा उसकी मोटरसाईकिल से मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के तहसील कार्यालय आसीन्द से एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय पर पहुंची। समय 11.30 पी.एम. पर श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि., मय श्री रामेश्वर लाल कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2024 की प्रथम वार्ता वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2024 बरूबरू परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी के मध्य पटवार घर ईरास पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की प्रथम वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 12.45 ए.एम. पर श्री प्रहलाद कुमार सहायक उपनिरीक्षक पुलिस मय श्री रामेश्वर लाल कानि वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक के कार्यालय से रवाना हो पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा पहॅुच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवा रिपोर्ट प्राप्त कर रवाना हो पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा पहॅुच, आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी को सुरक्षार्थ जमा करवा रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2024 की द्वितीय वार्ता दिनांक 02.09.2024 बरूबरू परिवादी श्री बरदी चन्द्र उर्फ बरदा व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी व श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू-अभिलेख निरीक्षक के मध्य तहसील कार्यालय आसीन्द पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की द्वितीय वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मैमोरी कार्ड मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन की प्रथम व द्वितीय वार्ता के चार पेनड्राईव तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A 1, A 2, A3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे

रखकर मार्क A 4 अंकित किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 03.09.2024 बरूबरू परिवादी श्री बरदीचन्द्र उर्फ बरदा व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के चार पेनड्राईव तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क B 1, B 2, B 3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क B 4 अंकित किया गया। रिश्वत राशि लेन देन के मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से हैशवेल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 06.00 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2024 की प्रथम वार्ता जिसमे परिवादी व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी व दिनांक 02.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की द्वितीय वार्ता जिसमे परिवादी व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी एवं श्री कृष्ण कुमार अवस्थी भू-अभिलेख निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 03.09.2024 मे परिवादी श्री बरदीचंद्र उर्फ बरदा व आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी के मध्य हुई उक्त वार्ताओ के दो मूल मेमोरी कार्डस मांग सत्यापन Sandisk कम्पनी 32 GB का व रिश्वत राशि लेन देन वार्ता का मूल मैमारी कार्ड Sandisk कम्पनी 32 GB कुल नंग 2 को उसी मेमोरी कार्ड के कागज के अलग-अलग कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.15 ए.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 80,000 रूपये मार्क N आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी की मोटरसाईकिल के साईड बैग सिल्ड चिट शुदा मार्क BG आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी की मोटरसाईकिल के साईड बैग सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क BG 1 BG 2 सिल्डचिट शुदा 06 पैन ड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A 1, A 2, A 3, B1, B 2, B 3 02 पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर चिट बंद पैन ड्राईव मार्क A 4, B 4 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क M एवं जप्तशुदा आरोपी की मोटरसाईकिल इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 12.05 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री बरदीचंद्र उर्फ बरदा व स्वतंत्र गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड़ व श्री गोपाल लाल पंवार व श्री गोपाल जोशी सहायक उप निरीक्षक, श्री अशोक कुमार कानि, श्री रामेश्वर कानि मय वाहन सरकारी मय चालक के घटनास्थल निरीक्षण हेतू रवाना आसीन्द की ओर हुई। समय 02.00 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री बरदी चंद्र उर्फ बरदा व स्वतंत्र गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड़ व श्री गोपाललाल पंवार, श्री गोपाल जोशी सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री अशोक कुमार कानि श्री रामेश्वर लाल कानि मय वाहन सरकारी मय चालक के आसीन्द पहुंच स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से तहसील परिसर आसीन्द व जहां रिश्वत राशि लेन देन हुआ, उस स्थल का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। घटनास्थल की श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल से बीएनएसएस के प्रावधानो के अनुसार विडियोगाफ्री करवायी गई। समय 02.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री बरदीचंद्र उर्फ बरदा व स्वतंत्र गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड़ व श्री गोपाललाल पंवार व श्री गोपाल जोशी सहायक उप निरीक्षक, श्री अशोक कुमार कानि, श्री रामेश्वर, कानि मय वाहन सरकारी मय चालक के बाद निरीक्षण घटनास्थल के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना हुई। समय 03.40 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता मय वाहन सरकारी के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय पहुची। उसके पश्चात बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार टेªप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अशोक कुमार कानि से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अशोक कुमार कानि को मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। श्री अशोक कुमार कानि ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया जिसको श्री प्रेमराज कानि की मदद से सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के चार पेनड्राईव तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क C 1, C 2, C 3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क C 4 अंकित किया गया। विडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज की मदद से हैसवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M 1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पेशकशी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.15 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.20 पी.एम पर जब्तशुदा 03 पैन ड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में

सिल्डचिट मार्क C 1, C 2, C 3 एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर चिट बंद पैन ड्राईव मार्क C 4 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क M 1 इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री बरदीचंद्र उर्फ बरदा व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री तिलकेश्वर प्रसाद धूपड़ व श्री गोपाललाल पंवार को हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 05.35 पी.एम पर श्री शिवराज कानि ने फर्द ट्रांसक्प्टि रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दोनो वार्ता एवं लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.40 पी.एम पर श्री प्रेमराज कानि ने मांग सत्यापन की दोनो वार्ताए एवं लेन देन वार्ता के मेमौरी कार्ड एवं मौके पर करवायी गई, बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी, मेमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने एवं मांग सत्यापन वार्ता, लेन देन वार्ता, विडियोगाफ्री मेमोरी कार्ड की हैशवेल्यू के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.45 पी.एम पर श्री अशोक कुमार कानि ने बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोगाफ्री की गई थी, जिसने विडियोगाफ्री का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.50 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक, कालियास तहसील-आसीन्द जिला-भीलवाडा मौके से फरार हो गया जिसकी काफी तलाश की गई परन्तु वह नही मिला। आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवस्थी की तलाश जारी है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा व श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, भू अभिलेख निरीक्षक, कालियास तहसील-आसीन्द जिला-भीलवाडा द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बरदी चंद उर्फ बरदा के नाम ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का जोधडास मे कृषि भूमि आराजी सं 580 रकबा 5.80 है मे से 7/24 हिस्सा लगभग 8 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे संस्थागत खाता रखने व परिवादी की उक्त कृषि भूमि को परिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दुरस्तीकरण करने की एवंज मे आरोपीगण द्वारा दिनांक 02.09.2024 को 80,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा अपनी मांग के अनुसरण मे दिनांक 03.09.2024 को आरोपी श्री प्रदीप कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा रिश्वत राशि 80,000/- रूपये परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स आर.जे. 02 डब्लु.बी. 0423 के साईड के बैग में रखने के लिये कहने पर परिवादी ने आरोपी की मोटरसाईकिल के साईड के बैग मे रखी जहां से रिश्वत राशि 80,000/-रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः आरोपीगण 1 श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री रामावतार यादव उम्र 43 वर्ष, निवासी मिलकपुर, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा एवं 2 श्री कृष्ण कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमप्रकाश अवस्थी उम्र 49 साल निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला केकडी हाल भू अभिलेख निरीक्षक, वृत-कालियास, तहसील-आसीन्द जिला भीलवाडा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। भवदीय, (कल्पना) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमति कल्पना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में आरोपी 1. श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री रामावतार यादव, उम्र 43 वर्ष निवासी मिलकपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा 2. श्री कृष्ण कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमप्रकाश अवस्थी, उम्र 49 वर्ष, निवासी बुबकिया, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त कालियास, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 79 पर अंकित है। (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1038-41 दिनांक 05.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा। 2 श्रीमान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I
Date: 0 /2024

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				
2	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)